निर्णय बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 30.04.2024

प्रकरण संख्या : 93 / दावा / 2022 तारीख दायरा :– 19.02.2022

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2022 / 80

उनवान

बद्रीलाल पुत्र गंगाराम जाति खाती निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1–हीरालाल पुत्र परसा जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

2–सन्तोषबाई पत्नी हीरालाल जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान।

3–आनन्द पुत्र रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

4–कमलेश पुत्र रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

5–चन्द्रकलाबाई पति रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

6–दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

7–मांगीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

8– स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

.... प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 30.04.2024

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता श्री रविशंकर विजय द्वारा वाद धारा 183 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पिरथीपुरा उर्फ तलाईपुरा पटवार हल्का लसुडियाशाह तहसील अकलेरा के माल का नया खाता संख्या 13 पुराना 20 का खसरा संख्या 110 की 0.5261 हैक्टेयर बारानी चतुर्थ 0.3642, बीड दोयम 0.1619 कुल 1 किता की 0.5261 हैक्ट0 आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण आनन्द पुत्र रामचन्द्र, कमलेश पुत्र रामचन्द्र, चन्द्रकलाबाई पति रामचन्द्र,दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र, मांगीबाई पुत्री रामचन्द्र, के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादी बद्री[illegible] दर्ज है। अवलोकनार्थ नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 पेश है। वर्णित [illegible] वादी बद्रीलाल ने जरिये रजिस्टड्र विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2019 को [illegible] खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एंव उक्त आराजी का नांमा. संख्या 17[illegible] के खाते में दर्ज हो चुकि है उक्त आराजी का वर्तमान में बद्री[illegible] सा दर्ज है जिस पर वादी खरीद के पश्चात काश्त कर्ता चला आ रहा था एंव उसमें फसल का लाभ उठता चला आ रहा था।यह कि वादी ने प्रतिवादी नं. 1 हिरालाल कों दिनाक 20.09.2019 को 1,50,000 / रू सम्पुर्ण राशी का भुगतान कर दिया परन्तु प्रतिवादी न. 1 हीरालाल के बदनियति आ ज. से वादी से प्रतिवादी न.1 हीरालाल व प्रतिवादी न. 2 सन्तोष बाई जबरन 1,00,000/ रूपए वसूली करना चाहते है। अपने इस आशय की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण 1 लगाायत 2. ने वादी के खाते एवं कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:16 IST
Reason: SelfAttested

की आराजी पर माह अक्टूबर 2022 में जबरन बलपूर्वक वादी की सहमति के बिना सरसों की फसल की बुवाई पर जबरन कब्जा कर लिया है जो बेहेसियत अतिक्रमी है । वादी ने प्रतिवादीगाण 1 व 2 से कई बार कब्जा छोडने के लिए कहा किन्तु प्रतिवादीगण किसी भी हालत में वादी की 1/2 हिस्सा आराजी पर से कब्जा छोडना को तैयार नही हो रहे है ओर लडाई झगडे करने को आमदा हो जाते है। वादी ने अंतिम बार दिनांक 08/11/2022 को प्रतिवादीगाण से आराजी पर से कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादी न.1 हीरालाल आराजी पर से कब्जा छोडने हेतु साफ इन्कार हो गया एवं प्रतिवादी न. 2 संतोषबाई ने वादी को झूठे बलात्कार मुकदमें में फसाने की धमकी दी से वाद कारण उत्पन्न हुआ । यह कि प्रतिवादीगण 3 लगाायत 7 आराजी के सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः ग्राम पिरथीपुरा उर्फ तलाईपुरा पटवार मण्डल हल्का लसुडीयाशाह तहसील अकलेरा के माल कि नई खाता सं. 13 पुराना 20 की खसरा सं. 110 की 0.5261 हैक्ट0 आराजी में से वादी के हिस्से कि 1/2 भाग आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को दिलाया जावे एंव विशेष हर्जा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी द्वारा एकतरफा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि वर्णित आराजी ग्राम पिरथीपुरा उर्फ तलाईपुरा पटवार मण्डल हल्का लसुडीयाशाह तहसील अकलेरा के माल कि नई खाता सं. 13 पुराना 20 की खसरा सं. 110 की 0.5261 हैक्ट0 आराजी वादी के सहखातेदारी आराजी है जिसमे वादी का 1/2 भाग दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 2 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की सहखातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण 1 ता 2 का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम पिरथीपुरा उर्फ तलाईपुरा संवत 2072–75 की खाता संख्या 13 जिसको EX-1 से प्रदर्शित किया गया है प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिरथीपुरा उर्फ तलाईपुरा पटवार मण्डल हल्का लसुडीयाशाह तहसील अकलेरा के माल कि नई खाता सं. 13 पुराना 20 की खसरा सं. 110 की 0.5261 हैक्ट0 आराजी में से वादी के हिस्से कि 1/2 भाग आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को दिलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:16 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
(अकलेरा (झालावाड़))

डिकी मुकद्मात इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 30.04.2024

प्रकरण संख्या : 93 / दावा / 2022
ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2022 / 80

तारीख दायरा :– 19.02.2022

उनवान

बद्रीलाल पुत्र गंगाराम जाति खाती निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

.... वादी

बनाम

1–हीरालाल पुत्र परसा जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

2–सन्तोषबाई पत्नी हीरालाल जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

3–आनन्द पुत्र रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

4–कमलेश पुत्र रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

5–चन्द्रकलाबाई पति रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

6–दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

7–मांगीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति लोधा निवासी लसुडियाशाह तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

8– स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान।

.... प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ राहुल कुमार मल्होत्रा (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री रविशंकर विजय मिन जानिब मुद्दालय ———————— ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम पिरथीपुरा उर्फ तलाईपुरा पटवार मण्डल हल्का लसुडियाशाह तहसील अकलेरा के माल कि नई खाता सं. 13 पुराना 20 की खसरा सं. 190 का 0.5261 हेक्टेयर आराजी में से वादी के हिस्से कि 1/2 भाग आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

आज दिनांक 30.04.2024 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2024.06.28 16:31:16 IST
Reason: SelfAttested